

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर 2014—अग्रहायण 8, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2014

सूचना

क्र. एफ-22-09-2014-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का क्रमांक 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खंड (ग क) के साथ पठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, कक्ष क्रमांक 321, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों के नियम 66 में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(छ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 के खण्ड (ग क) के अधीन जिले के भीतर साधारण एवं ग्रामीण मार्गों का निश्चित किया जाना.”

NOTICE

No. F -22-09-2014-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (c a) of sub-section (3)

of Section 68 read with Section 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in official Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government in office hours in the office of the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Room No. 321, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 66, after Clause (f), the following Clause shall be inserted, namely :—

- “(g) To formulate ordinary and rural routes within district under clause (c a) of Section 68 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988).”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.